

08/4/25

पतावली पेवा हुई। अधिवक्ता उच्च पक्षकारान मय  
पक्षकारान अनुपारम्भित। एक-एक कर तीस-बार  
आवाजे दित्तवार्ति गई। एकम सौम 5PM हो पुका  
है। अतः अधिवक्ता उच्च पक्षकारान मय पक्षकारान  
के अनुपारम्भित रहने पर आर्षे का परिचा पत्र एवं  
विपक्षी का काउण्टर परिचा पत्र अदम हाजरी एवं  
अदम फेरी में खारिज किया जाता है। पतावली में  
शुमार होकर नखर से कर ही।

निष्पत्ति सुनदा गया।

